न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोण्डा

द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1360 / 2026

CNR No. UPGD01003912-2026

विमल यादव, आयु करीब 29 वर्ष, पुत्र कृष्ण मोहन यादव, निवासी वजीराबाद कटरा भोगचन्द्र, थाना–नवाबगंज, जनपद–गोण्डा।

.....आवेदक / अभियुक्त।

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश .....अभियोजन।

एवं

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1371 / 2026

CNR No. UPGD01003913-2026

1. कृष्ण कुमार, आयु करीब 27 वर्ष, पुत्र विन्देश्वरी यादव,

2. विकास, आयु करीब 25 साल, पुत्र विन्देश्वरी यादव,

निवासीगण वजीराबाद कटरा भोगचन्द्र, थाना–नवाबगंज, जनपद–गोण्डा।

.....आवेदक / अभियुक्तगण।

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश .....अभियोजन।

दिनांकः 08.06.2026

1. द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–1360 / 2026 आवेदक / अभियुक्त **विमल यादव** एवं अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1371 / 2026 आवेदक / अभियुक्तगण **कृष्ण कुमार एवं विकास** की ओर से मुकदमा अपराध सं0–256 / 2025, अन्तर्गत धारा–115(2), 352, 351(3), 109(1), 117(2) भा0न्या0सं0, थाना–नवाबगंज, जिला गोण्डा के प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक / अभियुक्त विमल यादव द्वारा प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र बलाभाव में निरस्त किया जा चुका है।

3. उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्र एक ही घटना एवं मुकदमा अपराध से सम्बन्धित है, जिस कारण सुविधा एवं न्याय की दृष्टि से दोनों जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

4. वादी मुकदमा राम सजीवन यादव द्वारा थाना नवाबगंज, गोण्डा में दिनांक 20.07.2025 को समय 22:17 बजे पंजीकृत करायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभिकथित है कि दिनांक 20.07.2025 को रात करीब 09 बजे उसके भतीजे राज बहादुर बाजार से घर जा रहे थे कि रास्ते में कटरा भोगचंद और वजीराबाद के मध्य पुरानी रंजिश को लेकर उसके भतीजे की बाईक विपक्षी विमल, विकास और कृष्ण कुमार व दो अज्ञात व्यक्तियों ने मॉ–बहन की गाली

देते हुए लाठी–डण्डा व लोहे की रॉड से उसके भतीजे पर हमला कर दिया, जिससे उसके सिर व हाथ में व शरीर के अन्य जगहों पर काफी चोटें आयी हैं। सिर में चोट लगने से राज बहादुर बार–बार बेहोश हो जा रहे हैं। सूचना पर गांव के लोगों को मौके पर लेकर घायल भतीजे को लेकर थाने आया है, जो बार–बार बेहोश हो जा रहे हैं।

5. आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करके यह कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें रंजिशन फंसाया गया है। कथित घटना कारित करने का कोई मोटिव नहीं बताया गया है। घटना रात की बतायी गई है, किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट में रोशनी के किसी श्रोत का उल्लेख नहीं है। वादी द्वारा स्वयं कोई घटना नहीं देखी गई है। घटना कारित करते समय किस व्यक्ति के हाथ में क्या था, उसका उल्लेख नहीं है। किसी अभियुक्त की किसी विशिष्ट भूमिका का उल्लेख नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 110 बी0एन0एस0 में दर्ज करायी गई थी, परन्तु बाद में उनकी गिरफ्तारी हेतु धारा 109(1) भा0न्या0सं0 की बढ़ोत्तरी की गई है, जिस कारण पुलिस उनके घर बार–बार दबिश दे रही है और उनकी गिरफ्तारी कर उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने का प्रयास कर रही है। उपरोक्त समस्त कथनों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई।

6. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य बताया है।

7. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

8. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। आवेदक/अभियुक्तगण पर वादी मुकदमा के भतीजे को लाठी–डण्डा व लोहे की रॉड से मार पीटकर व गाली गलौज देते हुए गंभीर चोटें कारित करने का अभियोग लगाया गया है।

9. केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रारम्भ में प्राथमिकी धारा 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 110 भा0न्या0सं0 में पंजीकृत करायी गई थी, जिसमें विवेचक द्वारा मजरूब की चोटों एवं अन्य तमामी विवेचना के उपरान्त उपरोक्त धाराओं में ही आरोप पत्र प्रेषित किया गया, किन्तु वादी मुकदमा के प्रार्थना पत्र पर मामले की पुनर्विवेचना के क्रम में धारा 191(2), 191(3) को विलोपित करते हुए धारा 117(2), 109(1) भा0न्या0सं0 की बढ़ोत्तरी की गई है। दौरान विवेचना, मजरूब द्वारा विवेचक को दिये गये बयान में घटना का समर्थन किया गया है, किन्तु अभियुक्तगण की किसी विशिष्ट भूमिका के सम्बन्ध में अथवा उनके द्वारा जान से मारने की नीयत से हमला करने का कथन नहीं किया गया है। मामले में विवेचना अभी प्रचलित है। सम्बन्धित थाने द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं है।

10. अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वाद के गुण दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये हुए मेरे मत में आधार अग्रिम जमानत पर्याप्त पाया जाता है। तद्नुसार अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की तिथि तक सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

मु0अ0सं0–256/2025, अन्तर्गत धारा–115(2), 352, 351(3), 109(1), 117(2) भा0न्या0सं0, थाना–नवाबगंज, जिला गोण्डा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **विमल यादव** की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1360/2026 एवं आवेदक/अभियुक्तगण **कृष्ण कुमार** एवं **विकास** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1371/2026 आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की अवधि तक सशर्त **स्वीकार** किया जाता है।

दौरान विवेचना अभियुक्तगण द्वारा गिरफ्तार किये जाने की स्थिति में गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी की सन्तुष्टि में मु0 1,00,000–1,00,000/– (एक–एक लाख रुपये) के व्यक्तिगत बन्ध–पत्र एवं इसी धनराशि की एक–एक जमानतें तथा निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने की अण्डरटेंकिग दाखिल करने पर अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

1–आवेदक/अभियुक्तगण पुलिस अधिकारी/विवेचक द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध रहेगा।

2– आवेदक/अभियुक्तगण मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्य क्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।

3–आवेदक/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

4–आवेदक/अभियुक्तगण इस अपराध से सम्बन्धित या अन्य कोई अपराध कारित नहीं करेंगे।

इस जमानत आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1371/2026 पर भी रखी जाए।

दिनांक–08.06.2026

(सूर्य प्रकाश सिंह)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
गोण्डा